आदेश का क्र० संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
21/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **पी0 डी0 एस पुनरीक्षण 92/2010** **मो0 सम्मिउल्लाह बनाम् राज्य** उक्त पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा पी0 डी0 एस0 अपील वाद संख्या–17आर–15/2010–11 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था, जिसमें उपायुक्त द्वारा आवेदक की जनवितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–36/92 को रद्द किये जाने के आदेश को सम्पुष्ट किया गया था। उपायुक्त के द्वारा दिनांक–15.09.2010 को यह आदेश पारित किया गया, जिसके पश्चात् दिनांक–03.12.2010 को यह पुनरीक्षण आवेदन दायर हुआ। दिनांक–14.06.2011 को वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। दिनांक–15.05.2012 को उभय पक्षों को सुनते हुये लिखित बहस दायर करने का आदेश दिया गया, जिसके पश्चात् दिनांक–27.06.2012 को इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका–4252/2012 दायर की गयी। उक्त याचिका में दिनांक–04.09.2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस वाद की पुनः सुनवाई करते हुये विस्तृत आदेश 01 माह के भीतर पारित करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में दिनांक–15.01.2021 को वाद की कार्रवाई पुनः प्रारम्भ की गयी। उक्त तिथि से ही आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–06.01.2022 को अंतिम मौका दिया गया। पुनः दिनांक–14.02.2022 तथा 24.02.2022 को अंतिम मौका दिये जाने के पश्चात् भी आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। दिनांक–03.03.2022 को पुनः आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक–10.03.2022 को एक अंतिम मौका दिया गया किन्तु आवेदक उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है। उभय पक्षों द्वारा इस वाद में लिखित बहस पूर्व में ही दायर की जा चुकी है। आवेदक का दावा है कि पणन पदाधिकारी, राँची द्वारा अपने जाँच में कतिपय उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को अपने दुकान में रख लेने एवं राशन की आपूर्ति नहीं करने की शिकायत पर जाँच की गयी। उक्त आधार पर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा उनके अनुज्ञप्ति को निलम्बित करते हुये उनसे कारण–पृच्छा किया गया। उन्हें सुनवाई का मौका दिये बगैर उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उपायुक्त द्वारा उनके अपील को भी खारिज कर दिया गया। प्रश्नगत् आरोप पूर्णतः गलत एवं मिथ्या था। आवेदक की अनुज्ञप्ति निलम्बित होने के कारण उपभोक्ताओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। आवेदक द्वारा कथित रूप से खाद्यानों की कालाबाजारी किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सभी उपभोक्ताओं के द्वारा नियमित रूप से बिक्री पंजी में हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान दिया गया है। आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का कोई आधार नहीं है। जाँच पदाधिकारी द्वारा मात्र कथित शिकातयकर्ताओं के बयान पर जाँच प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया गया तथा उनके पक्ष को सुने बगैर उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया। राज्य की तरफ से दायर लिखित बहस में आवेदक के द्वारा बरते गये अयिमितताओं का उल्लेख है तथा जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच दल द्वारा दिये गये निष्कर्ष भी उल्लेखित है। उपलब्ध कागजातों तथा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी द्वारा आवेदकों को एक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया था, जिसमें उनके विरूद्ध प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित अनियमितताओं का पूर्ण उल्लेख था। उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में आवेदक की तरफ से एक जवाब प्रेषित किया, जिसमें शिकायतकर्ताओं के द्वारा आपसी	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	मतभेद एवं अन्य लोगों के बहकावे में आकर लिखित प्रतिवेदन दिये जाने का उल्लेख किया। आवेदक द्वारा उनके स्तर से किये गये खाद्यान्न वितरण की विवरणी भी प्रेषित की गयी। उक्त सभी विवरणियों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ कि बी0पी0एल0 परिवार एवं अंत्योदय परिवार की खाद्यान्न का वितरण आवेदक द्वारा नहीं किया जाता था। जाँच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि कुछ कार्डधारियों के कारण आवेदक द्वारा अपने पास 10 वर्षों तक रख लिये गये थे, जिसे वर्ष–2010 में वापस किया गया। उक्त सभी कार्ड पर खाद्यान्न वितरण के इन्द्राज थे। पणन पदाधिकरी के प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर पुनः समीक्षा करते हुये जाँच करायी गयी। उक्त समीक्षा में भी गठित टीम के द्वारा आरोपों की पुष्टि की गयी। अतः आवेदकों के सभी कार्य पूर्णतः अनुज्ञप्ति में शर्तों के विपरित थे तथा सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका–196/2001 में पारित आदेशों का भी उल्लंघन स्पष्टतः था। इसी आधार पर आवेदकों के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। स्पष्टतः अंत्योदय एवं बी पी0 एल0 के राशन कार्ड को राशन दुकान में रखना अपने आप में एक गंभीर अनियमितता है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त इस विषय को निर्धारित समयावधि में निष्पादित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी तथा उनका रवैया पूर्णतः असहयोगात्मक रहा है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 21/2/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 21/2/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 11:59:19 +05:30
Location: 10.93.72.187